भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1270

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

कम्पनियों का बंद किया जाना

1270. श्री कुंवर दानिश अली:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में गत पांच वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में कम्पनियां बंद हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कम्पनियां बंद किए जाने के कारण बेरोजगार हुए लोगों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी आजीविका के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): वर्ष 2015 से 2019 के दौरान बंद हुई कंपनियों और उससे प्रभावित हुए कामगार व कारणों सहित ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ): प्रभावित कामगारों के हितों की रक्षा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत प्रतिकर के उपबंधों जैसे उपायों के माध्यम से की जाती है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना/स्वैच्छिक विच्छेद योजना के अंतर्गत अलग हुए अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बंद होने/उनकी पुनर्संरचना के कारण छंटनी किए गए कर्मचारियों (अथवा आश्रितों) को स्व/वेतन आधारित नियोजन के अवसर प्रदान करने वाले सामाजिक सुरक्षा नेट के रूप में परामर्श, प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना। सीआरआर का उद्देश्य स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना/स्वैच्छिक विच्छेद योजना विकल्प चुनने वाले/उनके आश्रितों को लघु आवधिक कौशल प्रशिक्षणों के माध्यम से उन्हें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से अलग होने के पश्चात नए वातावरण में समायोजित होने तथा नए उपव्यवसाय अंगीकार करने में समर्थ बनाना है। सीआरआर योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही।

* *****

दिनांक 25.11.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1270 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध

2014 से 2019 के दौरान कारण सहित पूर्ण रूप से बंद हुई इकाइयों तथा उससे प्रभावित कामगारों की संख्या

कारण	2014		2015 (अनंतिम)		2016 (अनंतिम)		2017 (अनंतिम)		2018 (अनंतिम)		2019 (जनवरी से सितम्बर) (अनंतिम)	
	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या	इकाइयों की संख्या	प्रभावित कामगारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हिंसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय अभाव	5	137	4	230	5	218	6	643	4	430	-	-
कच्चे माल की कमी	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-
उर्जा की कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मांग की कमी/ स्टॉक का संचय	1	63	-	-	2	153	6	50	1	8	-	-
परियोजना की समाप्ति/ अनुबंध की समाप्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)	(1)	(3559)	(2)	(976)	-	-	-	-
कामगारों की समस्याएं/ बेहतर सुविधाओं की मांग	1	9	-	-	3	15	-	-	-	-	-	-
भूमि समस्या	-	-	-	-	1	6	1	82	-	-	-	-
उत्पादन लागत में वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86	-	-
परिसर का स्थानांतरण/ नई इकाइयों का उद्घाटन	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य (खनन लाइसेंस का निलंबन/ कोयला ब्लॉक को रद्द करना/ स्वामी की बीमारी)	16	3818	7	770	12	1862	7	989	-	-	1	45
	(1)	(447)	(2)	(165)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
अज्ञात कारण	9	244	9	687	3	218	-	-	1	13	-	-
कुल :												
राज्य क्षेत्र	**33**	**4279**	**20**	**1687**	**27**	**2478**	**22**	**1764**	**8**	**537**	**1**	**45**
केन्द्र क्षेत्र	**(1)**	**(447)**	**(2)**	**(165)**	**(1)**	**(3559)**	(-)	(976)	(-)	(-)	(-)	(-)
महायोग	**34**	**4726**	**22**	**1852**	**27**	**6037**	**22**	**2740**	**8**	**537**	**1**	**45**

- = शून्य

टिप्पणी :- 1. कोष्ठक के भीतर सूचना केंद्र क्षेत्र से संबंधित है।

2. यह कथन 15 नवंबर, 2019 तक ब्यूरो में प्राप्त रिटर्न / सूचना पर आधारित है।

स्रोत: मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) और श्रम ब्यूरो का कार्यालय

****